न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 119 / 2024
अनवान : –

1. संजय पारीक पुत्र मांगीलाल जाति पारीक ब्राहमण साकिन तलवाडिया वाली बन्दगली हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. मनोज कुमार पुत्र मांगीलाल जाति पारीक ब्राहमण साकिन तलवाडिया वाली बन्दगली हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. सविता पुत्री मांगीलाल जाति पारीक ब्राहमण साकिन तलवाडिया वाली बन्दगली हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. सीमा पुत्री मांगीलाल जाति पारीक ब्राहमण साकिन तलवाडिया वाली बन्दगली हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. पुष्पा पत्नी मांगीलाल जाति पारीक ब्राहमण साकिन तलवाडिया वाली बन्दगली हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगीलाल देहडू अधिवक्ता वादी
श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता प्रतिवादीगण
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 15/03/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी के पिता स्व0 मांगीलाल व उसके सगे भाई बृजनारायण दोनो सगे भाई थे जिसकी कृषि भूमि रोही मौजा ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर के खसरा न0 824 की 3.0860 हैक्ट, ख0न0 826 की 16.984 हैक्ट कुल 20.0700 हैक्ट भूमि में विद्या पत्नी बृजनारायण का 1/12 हिस्सा, वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 का 1/60, 1/60 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

बृजनारायण उनके कोई संतान नही थी उनकी फौतदगी के बाद उनकी पत्नी विद्या देवी के नाम से उनके हिस्से की कृषि भूमि नाम दर्ज हो गयी अब विद्या देवी की मृत्यु हो चुकी है। चूंकि विद्या देवी व बृजनारायण के कोई संतान नही थी जिस कारण से बृजनारायण की मृत्यु के पश्चात विद्या देवी जो की वादी के साथ रहती थी तथा विद्या देवी ने अपने मकान जो की वादी निवास करती है कि एक रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 03.02.2012 को करवा दी थी तथा विद्या देवी ने उक्त वसीयत में भी यह अभिकथित किया था कि मिकरा के कोई सन्तान नही है जिस कारण से उक्त खरीद शुदा मकान की वसीयत संजय पारीक जो मुझ वादी के नाम करवा दी।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:36:51 IST
Reason: SelfAttested

चुकि बृजनारायण व विद्या देवी के कोई सन्तान नही थी जिस कारण से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 उसके प्रथम श्रेणी के वारिस है तथा मृतक विद्या देवी की कृषि भूमि के हकदार व खातेदार है यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 2 ता 5 की तरफ से श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा ढाणी ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 114/102, मृत्यु प्रमाण पत्र बृजनारायण, वार्ड पार्षद द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र की चित्रप्रति बहक विद्या देवी, सदस्य प्रमाण पत्र बहक मांगीलाल, मृत्यु प्रमाण पत्र विधा देवी, चित्रप्रति दस्तावेज वसीयतनामा, शपथ पत्र बाबत सदस्य बहक विधा देवी।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में विद्या देवी के नाम दर्ज है अब विद्या देवी की मृत्यु हो चुकी है। चूंकि विद्या देवी व बृजनारायण के कोई संतान नही थी जिस कारण से बृजनारायण की मृत्यु के पश्चात विद्या देवी जो की वादी के साथ रहती थी तथा विद्या देवी ने अपने मकान जो की वादी निवास करती है कि एक रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 03.02.2012 को करवा दी थी तथा विद्या देवी ने उक्त वसीयत में भी यह अभिकथित किया था कि मिकरा के कोई सन्तान नही है जिस कारण से उक्त खरीद शुदा मकान की वसीयत संजय पारीक जो मुझ वादी के नाम करवा दी। अतः वादी के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावे। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर रा[illegible] सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:36:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर के खाता संख्या 114/102 की कुल 20.0700 हैक्ट भूमि में 1/12 हिस्सा भूमि विद्या देवी के नाम दर्ज है वादी का कथन है कि विद्या देवी का देहान्त हो चुका है विद्या देवी के अन्य कोई सन्तान नही है एवं विद्या देवी के पति का भी देहान्त हो चुका है विद्या देवी के नाम दर्ज भूमि के प्रथम श्रेणी के वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ के आधार पर एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान एवं सदस्य प्रमाण पत्र के अनुसार मृतक विद्या देवी एवं मांगीलाल के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर के खाता संख्या 114/102 की कुल 20.0700 हैक्ट भूमि में 1/12 हिस्सा भूमि विद्या देवी के नाम दर्ज है, में मृतक विधा देवी का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 15/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:36:51 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 119/2024

अनवान : –

1. संजय पारीक पुत्र मांगीलाल जाति पारीक ब्राहमण साकिन तलवाडिया वाली बन्दगली हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. मनोज कुमार पुत्र मांगीलाल जाति पारीक ब्राहमण साकिन तलवाडिया वाली बन्दगली हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. सविता पुत्री मांगीलाल जाति पारीक ब्राहमण साकिन तलवाडिया वाली बन्दगली हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. सीमा पुत्री मांगीलाल जाति पारीक ब्राहमण साकिन तलवाडिया वाली बन्दगली हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. पुष्पा पत्नी मांगीलाल जाति पारीक ब्राहमण साकिन तलवाडिया वाली बन्दगली हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 119 सन 2024 निर्णय दिनांक 15/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीया श्री मांगीलाल देहडू एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर के खाता संख्या 114/102 की कुल 20.0700 हैक्ट भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि विद्या देवी के नाम दर्ज है, में मृतक विधा देवी का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:36:51 IST
Reason: SelfAttested